**सलाहकार-टीम लीडर**

रिक्तियों की संख्या-1

**बीआरएलएफ के बारे में**

भारत रूरल लाइवलीहुड्स फाउंडेशन (बीआरएलएफ) एक स्वायत्त संस्था है, जो भारत सरकार द्वारा समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत की गई है। बीआरएलएफ को केंद्रीय मंत्रीमंडल के निर्णय के माध्यम से 03 सितम्बर, 2013 को संस्थापित किया गया था, जिसमें मंत्रीमंडल ने सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक समाज कार्य की उन्नति हेतु एक स्वतंत्र संस्था के रूप में स्थापित करने का विचार रखा था।

बीआरएलएफ का गठन भारत-भर के लोगों की आजीविका और जीवन के रूपांतरण हेतु सरकार के साथ भागीदारी में नागरिक समाज कार्य को प्रोत्साहित करने और सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। ग्रामीण निर्धन जीवन को रूपांतरित करने हेतु, बीआरएलएफ प्राकृतिक संसाधनों के उत्थान, सिंचाई हेतु जल की वृद्धि और कृषि करने, आजीविका के प्रोत्साहन, पशुपालन तथा ऑफ-फार्म आजीविका सहित, तथा महिला नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय समावेश करने पर केंद्रित है। बीआरएलएफ निर्धनों पर लक्षित अग्रणी सभी हस्तक्षेपों से महिलाओं द्वारा नेतृत्व वाले सशक्त जमीनी स्तर पर संस्थानों पर बल देता है। बीआरएलएफ ने नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ अपनी रणनीतिक नियुक्ति के माध्यम से प्रमुख परिणाम और उत्पादन प्राप्त किए हैं। बीआरएलएफ सरकार और निगमों द्वारा बनाए गए कार्यक्रम प्रारूप के मध्य अंतराल को कम करने से पृष्ठभूमि पर समुदायों के साथ कार्यरत जमीनी स्तर पर नागरिक सामाजिक संगठनों के साथ सक्रियता से कार्य करता है, कार्यक्रम के दौरान जमीनी स्तर पर सरकार के लोकतांत्रिक संस्थानों के मजबूतीकरण द्वारा पृष्ठभूमि पर परिणाम प्राप्त किए गए हैं, कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की गुणवत्ता के सुधार, सफल हस्तक्षेप मॉडलों का विकास किया जाता है जिससे कि निर्धनों, विशेष रूप से मध्य भारत में जनजातीय परिवारों को निर्धनता और अभाव से बाहर निकाला जा सके।

कृपया हमारी वेबसाईट: https://www.brlf.in पर पधारें।

**परियोजना के बारे में** - उच्च प्रभाव वाली मेगा-जलोत्सारण परियोजना झारखण्ड

28 अगस्त, 2020 को, बीआरएलएफ ने उच्च प्रभाव वाली मेगा जलोत्सारण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आयुक्त मनरेगा सेल, झारखंड सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रस्तावित परियोजना 7 जिलों के सर्वाधिक पिछड़े 24 प्रखंडों में क्रियान्वित की जा रही है। इस परियोजना का उद्देश्य 190,000 सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है। परियोजना की अवधि चार वर्ष है और कार्यक्षेत्र कार्यान्वयन 1 जनवरी 2021 को शुरू किया गया था। परियोजना राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई के मार्गदर्शन और समर्थन के तहत 12 सीएसओ भागीदारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य 190,000 सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिए पर परिवारों के जीवन और आजीविका में सुधार करना है।

बीआरएलएफ राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त और अनुभवी पेशेवर की खोज कर रहा है। राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई राज्य की राजधानी में स्थापित है और उनकी संबंधित अवस्थिति में इस परियोजना के क्रियान्वयन करने वाले सीएसओ भागीदारों को रणनीतिक सुविधा सहायता प्रदान कर रहा है। बीआरएलएफ और आयुक्त मनरेगा के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन में एसपीएमयू कार्य करता है।

**1:सलाहकार-टीम लीडर**

रिक्तियों की संख्या-1

मासिक पारिश्रमिक- रु.85050/-

रिपोर्टिंग अधिकारीः परियोजना अधिकारी, बीआरएलएफ

**जॉब का संक्षिप्त विवरणः**

- एसपीएमयू के समग्र कामकाज का प्रबंधन करना; जिनकी प्रमुख भूमिका सीएसओ भागीदारों का समर्थन और सलाह देना, इस परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए मनरेगा राज्य प्रकोष्ठ और अन्य सरकारी संबंधित विभागों का समर्थन करना।
- बीआरएलएफ एमआईएस टूल आदि पर ऑनलाईन परियोजना प्रबंधन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रक्रियाओं, नीति दिशानिर्देशों, क्षमता निर्माण मॉड्यूल, समुदाय आधारित संस्थागत ढांचे, और परियोजना एमआईएस ढांचे का विकास और डिजाइन करना।
- परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन भागीदारों और जिला एवं प्रखण्ड अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना।
- परियोजना प्रदेय (डिलिवरेबल्स) प्राप्त करने के लिए आवंटित प्रखण्डों में कार्य कर रहे सभी सीएसओ भागीदारों को आवश्यक फील्ड-आधारित बैकस्टॉपिंग समर्थन, क्षमता निर्माण, परामर्श और तकनीकी सहयोग प्रदान करना।
- सामान्य समझ के लिए सीएसओ कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण और विभिन्न क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करना। परियोजना में कार्य कर रहे सभी सीएसओ भागीदारों के कर्मचारियों के प्रशिक्षण और परियोजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होना।
- सभी स्तरों पर वार्षिक योजना और बजट के लिए एक टेम्पलेट तैयार करना, परियोजना के लिए "निगरानी, मूल्यांकन और सीखने (एमईएल)" प्रणाली का विकास और शुभारंभ करना। ज्ञान प्रबंधन के लिए प्रणाली के साथ-साथ रिपोर्टिंग और प्रलेखन प्रारूप विकसित करना।
- परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली कार्रवाई के लिए मनरेगा राज्य प्रकोष्ठ को अनुशंसा करना।
- परियोजना के साथ अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा और अन्य राज्य विभागों के समर्थन से विभिन्न समितियों के कामकाज के लिए संबंधित राज्य-स्तरीय बैठकों में शामिल होना।
- परियोजना के तहत उत्पादित होने वाली आईईसी सामग्री विकसित करना, जिसे बीआरएलएफ द्वारा साझा किया जाएगा। राज्य कार्यक्रम सचिवालय के लिए उपकरण और सहायक उपकरण टीम लीडर द्वारा खरीदे जाएंगे और ऐसे उपकरण/सहायक उपकरण की सुरक्षा और उचित उपयोग का दायित्व होगा।

- परियोजना स्तर पर रिपोर्ट तैयार करना और पार्टियों की सहमति के अनुसार समय-समय पर रिपोर्ट (बीआरएलएफ और राज्य सरकार दोनों को) प्रस्तुत करने का दायित्व होगा।
- आवधिक अंतरालों पर परियोजना संचालन समिति की बैठकों के आयोजन में सभी हितधारकों का नेतृत्व करना और उन्हें सुविधा प्रदान करना।
- एसपीएमयू और परियोजना क्षेत्र में तैनात टीम के अन्य सदस्यों के साथ घनिष्ठ सहयोग और समन्वय सुनिश्चित करना और परियोजना के वितरण और मील के पत्थर (माईलस्टोन) को प्राप्त करने में उनका सहायता करना।
- एसपीएमयू टीम के सदस्यों को उनकी वार्षिक और मासिक योजनाओं को विकसित करने के लिए मार्गदर्शन करना और टीम के प्रदर्शन को सुनिश्चित करने के लिए टीम की बैठक आयोजित करके समीक्षा करना।
- प्रशिक्षण निधि, तकनीकी सहायता आदि के लिए सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के साथ अच्छी नेटवर्किंग और संपर्क सुनिश्चित करना।
- परियोजना की आवश्यकता को पूरा करने और बीआरएलएफ प्रबंधन द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए प्रायः राज्य के भीतर और राज्य के बाहर यात्रा करने की इच्छा होनी चाहिए।

**उम्मीदवार की वांछित/आवश्यक योग्यताः**

- अंग्रेजी और हिंदी में अच्छे संचार और लेखन कौशल के साथ प्रतिष्ठित संस्थानों से ग्रामीण विकास/जलोत्सारण/ सामाजिक विज्ञान/कृषि इंजीनियरिंग में स्नातक या स्नातकोत्तर।
- संबंधित क्षेत्र (जलोत्सारण और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन) में 10 - 15 वर्ष का अनुभव सीएसओ और राज्य सरकार के साथ जुड़ने की क्षमता के साथ अधिमानित होगा।
- उम्मीदवार पृष्ठभूमि पर कार्य सुपुर्दगी और समन्वय सुधार से संबंधित हितधारकों/एजेंसियों के साथ सहयोग करने में सक्षम होना चाहिए।
- आयु सीमा: 50 वर्ष।

**नियुक्ति का स्थान:**

• रांची, झारखंड

**आवेदन प्रक्रियाः**

इन पदों के लिए इच्छुक पात्र उम्मीदवारों को 05, अप्रैल, 2022 को अथवा पूर्व https://recruitment.samshrm.com/JOBS/BRLF पर ऑनलाईन आवेदन करने का निवेदन किया जाता है।